

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री यशार्थ शेखर (आई.ए.एस.) प्राथमिक डिक्री

प्रपत्र - 5

वादीगण
1. कमलाराम पुत्र मुकनाराम 2
जितेन्द्र कुमार पुत्र मोतीराम 3
नैनूदेवी पत्नी मोतीराम 4
लेखराज 5 तिलोकचन्द
पिसरान मोतीराम जाति माली
निवासी शास्त्री नगर, बाड़मेर
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण
1 कान्ता पत्नी नरसींगाराम पुत्री मुकनाराम 2
जगदीश 3 पदमाराम 4 फराराराम 5 भोजाराम 6
मदनराम पिसरान गणेशा 7 राणराम पुत्र
नरसींगाराम 8 हरीयोदेवी पत्नी गणेशाराम जाति
माली निवासी बाड़मेर मगरा तहसील व जिला
बाड़मेर 9 अनिल गौड़ पुत्र शंकरलाल गौड़
जाति ब्राह्मण निवासी महावीर नगर, बाड़मेर 10
केसी पत्नी दीपाराम जाति जाट निवासी
जाणियों की बस्ती काश्मीर तहसील शिव 11
कानाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी
बलदेव नगर, बाड़मेर 12 भंवरी पुत्री अमराराम
जाति जाट निवासी बलदेव नगर, बाड़मेर 13
हरीश डूडी पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी
बलदेव नगर, बाड़मेर 14 तहसीलदार बाड़मेर
ग्रामीण

दावा बाबत् 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 102/2025

निर्णय दिनांक :- 14.08.2025

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.08.2025 को श्री यशार्थ शेखर, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा बाड़मेर मगरा पटवार हल्का बाड़मेर मगरा के खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 0.3076, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.02443 हैक्टेयर, 356 रकबा 3.6017 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 5.6980 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 01 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 व 05 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 04 को 1/16 व वादी संख्या 05 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 01 से 13 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। कमीश्नर शुल्क रु. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

यह प्राथमिक डिक्री आज तारीख 14.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(यशार्थ शेखर)

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(SPO), बाड़मेर,
(एसडीओ) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	